

AREA CALCULATION

Sl. No.	DESCRIPTION	Area (sq. m)
1	LOWER BASEMENT FLOOR BU AREA	29.31 Sqm
2	GROUND FLOOR BU AREA	388.85 Sqm
3	FIRST FLOOR BU AREA	439.48 Sqm
4	SECOND FLOOR BU AREA	439.48 Sqm
5	THIRD FLOOR BU AREA	439.48 Sqm
6	ROOF FLOOR BU AREA	24.00 Sqm
7	TOTAL BU AREA	1711.58 Sqm
8	PARKING AREA	374.10 Sqm
9	ROADS	18.50 Sqm
10	LANDSCAPING	18.50 Sqm
11	WATER TANK	18.50 Sqm
12	STAIRS	18.50 Sqm
13	ELECTRICAL	18.50 Sqm
14	MECHANICAL	18.50 Sqm
15	PLUMBING	18.50 Sqm
16	PAINTING	18.50 Sqm
17	GLAZING	18.50 Sqm
18	IRONING	18.50 Sqm
19	WATER SUPPLY	18.50 Sqm
20	SEWERAGE	18.50 Sqm
21	TELEPHONE	18.50 Sqm
22	POWER	18.50 Sqm
23	WATER SUPPLY	18.50 Sqm
24	SEWERAGE	18.50 Sqm
25	TELEPHONE	18.50 Sqm
26	POWER	18.50 Sqm
27	WATER SUPPLY	18.50 Sqm
28	SEWERAGE	18.50 Sqm
29	TELEPHONE	18.50 Sqm
30	POWER	18.50 Sqm
31	WATER SUPPLY	18.50 Sqm
32	SEWERAGE	18.50 Sqm
33	TELEPHONE	18.50 Sqm
34	POWER	18.50 Sqm
35	WATER SUPPLY	18.50 Sqm
36	SEWERAGE	18.50 Sqm
37	TELEPHONE	18.50 Sqm
38	POWER	18.50 Sqm
39	WATER SUPPLY	18.50 Sqm
40	SEWERAGE	18.50 Sqm
41	TELEPHONE	18.50 Sqm
42	POWER	18.50 Sqm
43	WATER SUPPLY	18.50 Sqm
44	SEWERAGE	18.50 Sqm
45	TELEPHONE	18.50 Sqm
46	POWER	18.50 Sqm
47	WATER SUPPLY	18.50 Sqm
48	SEWERAGE	18.50 Sqm
49	TELEPHONE	18.50 Sqm
50	POWER	18.50 Sqm

PROPOSED BUILDING FOR
 1. SA. CHIVAN, SINGH, 36, Laxmi NAGAR
 2. SA. SIDDHANT SINGH, 36, Laxmi NAGAR
 3. SA. VIJAY KUMAR SINGH, 36, Laxmi NAGAR
 4. SA. LAKSHMI SINGH, 36, Laxmi NAGAR
 5. SA. RAJESH SINGH, 36, Laxmi NAGAR
 6. SA. ANITA SINGH, 36, Laxmi NAGAR
 7. SA. RAJESH SINGH, 36, Laxmi NAGAR
 8. SA. ANITA SINGH, 36, Laxmi NAGAR
 9. SA. RAJESH SINGH, 36, Laxmi NAGAR
 10. SA. ANITA SINGH, 36, Laxmi NAGAR

PARKING AREA CALCULATION
 FOR COMMERCIAL: 25% of 1711.58 Sqm = 427.89 Sqm
 FOR RESIDENTIAL: 10% of 1711.58 Sqm = 171.16 Sqm
 TOTAL PARKING AREA REQUIRED: 599.05 Sqm
 TOTAL PARKING AREA PROVIDED: 374.10 Sqm
 DEFICIENCY: 224.95 Sqm

FOR COMMERCIAL:
 PARKING AREA REQUIRED @ 25% = 427.89 Sqm
 FOR RESIDENTIAL:
 PARKING AREA REQUIRED @ 10% = 171.16 Sqm
 TOTAL PARKING AREA REQUIRED = 599.05 Sqm
 TOTAL PARKING AREA PROVIDED = 374.10 Sqm
 DEFICIENCY = 224.95 Sqm

PROPOSED BUILDING FOR
 1. SA. CHIVAN, SINGH, 36, Laxmi NAGAR
 2. SA. SIDDHANT SINGH, 36, Laxmi NAGAR
 3. SA. VIJAY KUMAR SINGH, 36, Laxmi NAGAR
 4. SA. LAKSHMI SINGH, 36, Laxmi NAGAR
 5. SA. RAJESH SINGH, 36, Laxmi NAGAR
 6. SA. ANITA SINGH, 36, Laxmi NAGAR
 7. SA. RAJESH SINGH, 36, Laxmi NAGAR
 8. SA. ANITA SINGH, 36, Laxmi NAGAR
 9. SA. RAJESH SINGH, 36, Laxmi NAGAR
 10. SA. ANITA SINGH, 36, Laxmi NAGAR



सेवा में,

श्री विद्यानाथ सिंह एवं अन्य,
पिता-स्व० सुखदेव सिंह,
पता-लोहानीपुर, पोस्ट-कदमकुआँ, पटना, बिहार।

विषय :- प्लॉन केस सं०-P-/Lohanipur-PCN-B2+G+4/550/2017 की स्वीकृति के संबंध में।


महाशय,

आपके आवेदन संख्या- P-/Lohanipur-PCN-B2+G+4/550/2017 दिनांक 29.11.2017 के संदर्भ में श्री विद्यानाथ सिंह एवं अन्य, पिता-स्व० सुखदेव सिंह, पता-लोहानीपुर, पोस्ट-कदमकुआँ, पटना, बिहार के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित..... विकास योजना / आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के सर्वे प्लॉट सं०-218, खाता सं०-44, तौजी सं०-156, थाना सं०-06, मौजा-लोहानीपुर पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

- (क) भूमि/ भवन का उपयोग अनन्य रूप से व्यवसायिक प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोग को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 681.18 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 33.53 मीटर से 37.60 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी अयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को 0.00 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ञ) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/ हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ठ) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ढ) ग्रीन-एरिया का प्रावधान बिहार भवन उप-विधि, 2014 के कंडिका-32 के अनुरूप निर्माण परिसर में किया जाना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन,



उप निदेशक,

शहरी योजना,

पटना नगर निगम, पटना।